सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —22 / 2018 अपील (RCMS/2018/00024)
पंजीयन दिनांक —19.02.2018
निर्णय दिनांक —27.11.2018

1. श्री लालसिंह पिता श्री मोडूसिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री भगवत सिंह पिता श्री मोडूसिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री कमलसिंह पिता श्री गोविन्द सिंह राजपुत, निवासी भदेसर, तहसील, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री नरेश जणवा — वकील अपीलान्ट
2. श्री सुनिल शर्मा — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1

अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 269 / 2017 दिनांक 31.01.2018

निर्णय

दिनांक 27.11.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर प्रकरण संख्या 269 / 2017 दिनांक 31.01.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या—1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का

पेश कर निवेदन किया कि उसके खातेदारी की जमीन मौजा गांगा गुडा पटवार हल्का धीरजी का खेडा तहसील भदेसर में स्थित है जिस पर आने जाने हेतु साबिक आराजी नम्बर 55/1 हाल आराजी नम्बर 82 पर रास्ता था जो वर्तमान में सेटलमेंट में अपीलान्टगण के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि भूमि रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है और रास्ता अंकन किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार निर्णय दिनांक 31.01.2018 से साबिक आराजी नम्बर 55/1 हाल आराजी नम्बर 82 रकबा 0.03 हैक्टेयर है, को सार्वजनिक रास्ता उपयोगिकतार्थ राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 27.11.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा गांगागुडा की आराजी संख्या 55/1 हाल आराजी नम्बर 82 अपीलान्टगण के पैतृक होकर स्वामित्व आधिपत्य खातेदारी की है और जिनका तन्हा खातेदार अपीलांटगण है, बावजुद उसके रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा जालसाजी करते हुए अपीलान्टगण को विश्वास में लेकर उनसे सहमती दिलवा दी और उसके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय को विष्वास में लेकर आदेश पारित करवाया है, जो आदेश कपटपूर्वक तथा मिथ्या वयपदेशन कर प्राप्त किया है, जो विधि की दृष्टि में प्रथम दृष्टिया ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण धोखाधडी के शिकार हुए है, उन्होने सहमति नहीं दी है और न ही किसी तथ्य को स्वीकार ही किया, उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और न ही न्यायालय द्वारा उनसे उक्त बात के बारे में पूछताछ ही की बावजुद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 के अधिवक्ता द्वारा किये गये मिथ्या वयपदेशन के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी कानुनी एवं वाकियाती भूल की है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपनी बहस में बताया कि उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने में भू–प्रबन्ध से पूर्व आराजी नम्बर 55/1 मीन जो रास्ता दर्ज था, सेटलमेंट अधिकारियों द्वाा उस आराजी के नये नम्बर 82 कायम किये जो कि वर्तमान में अपीलान्टस् के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है जबकि मौके पर उपरोक्त आराजी रेस्पोडेट के खातेदारी में आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग में काम आ रही है। उक्त रास्ता वर्षों से कायम है और इसी रास्ते से रेस्पोडेंट अपने खेतों पर आता जाता है एवं कृषि उपकरण, फसल, बैलगाड़ी आदि लाता ले जाता है। उक्त

रास्ते की भूमि को सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के अपीलान्टस् के नाम दर्ज कर दी जबकि रेस्पोडेंट एवं आस पास के आराजीयात के लोग इसे रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पूर्ण जांच उपरान्त एवं अपीलान्ट की सहमती उपरान्त निर्णय दिनांक 31.01.2018 से स्वीकार कर उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जो पूर्णतया विधि सम्मत है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि मौजा गांगागुडा की आराजी संख्या 55/1 हाल आराजी नम्बर 82 अपीलान्टगण के पैतृक होकर स्वामित्व आधिपत्य खातेदारी की है और जिनका तन्हा खातेदार अपीलांटगण है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण धोखाधडी के शिकार हुए है, उन्होने सहमति नहीं दी है और न ही किसी तथ्य को स्वीकार ही किया, उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और न ही न्यायालय द्वारा उनसे उक्त बात के बारे में पूछताछ ही की बावजुद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 के अधिवक्ता द्वारा किये गये मिथ्या वयपदेशन के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी कानुनी एवं वाकियाती भूल की है। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपनी बहस में उपरोक्त कथन किये जिनसे प्रकरण में तथ्यों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में हम पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का निर्णय दिनांक 31.01.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, भदेसर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 27.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर